in respect of seven of these schemes have been received recently on 14.5.98. Replies in respect of three schemes have not yet been received from the State Government.

(c) Approval of the schemes under the AUWSP would depend upon the availability of funds for the same, under the Central plan, for the Ministry of Urban Affairs & Employment.

Technical clearance of other 22 schemes received from the Maharashtra Government would depend upon the techno-economic feasibility of these schemes.

बासमती चावल को पेटेन्ट करवाना

*69. **श्री जनार्दन यादव :**
श्री मती वीणा वर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पूरे विश्व में बासमती चावल का सबसे बड़ा और एकमात्र उत्पादक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय बासमती को अमरीकी बासमती के नाम से पेटेन्ट कराया गया है;

(ग) क्या सरकार अमरीका में पेटेन्ट कराये गये बासमती चावल के पेटेन्ट को रद्द करवाने के संबंध में कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) बासमती चावल केवल भारत और पाकिस्तान में उगाया जाता है।

(ख) से (घ) पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स आयुक्त, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा राइस टेंक, ईक. एल्विन टैक्सास को 2.9.1997 को "बासमती लाइन्स एण्ड ग्रेन्स" शीर्षक के अन्तर्गत पेटेन्ट प्रदान किया गया था। मैसर्स राइस टेक, इक. को प्रदत्त पेटेन्ट को चुनौती देने के लिए औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत एक अंतर-मंत्रालयी समिति की स्थापना की गई है । पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स आयुक्त, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा प्रदत्त पेटेन्ट के अधिनिर्णय को चुनौती देने के लिए मूल सामग्री और वैज्ञानिक आंकड़े भी संकलित किए जा रहे हैं।

संबंधित सरकारों द्वारा अपने-अपने पेटेन्ट कानूनों के अंतर्गत पेटेन्ट प्रदान किए जाते है । जब भी ऐसी सूचना मिलती है कि भारत के वाणिज्यिक हित के किन्हीं उत्पादों के लिए पेटेन्ट लिया जा रहा है और जो कि हमारे विचार से पेटेन्ट कराने के मानदण्ड को पूरा नहीं करता है, तब यह जायजा लेने के लिए कदम उठाए जाते हैं कि पेटेन्ट प्रदान करने को चुनौती दी जा सकती है या नहीं। जब पर्याप्त सामग्री/इकट्ठी हो जाती है, तब पुनः जांच के लिए और उस देश में पेटेन्ट को अंतिम रुप से समाप्त करने हेतु याचिका दायर करने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

Reduction in investment limit of SSIs

*70. SHRI JALALUDIN ANSARI:
SHRI J. CHITHARANJAN:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government propose to reduce the maximum investment limit from the present Rs. three crore for the SSI units to Rs. one crore and continue the reservation of item for manufacture in the small scale sector; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) The Prime Minister announced at the Laghu Udyog Bharti function held on 29-4-1998 that the investment limit for a SSI unit would be reduced from Rs. 3 crores to Rs. 1 crores. Necessary follow up action on PM's announcement is being taken.

As regards reservation of items for manufacture in the small scale sector, Government's policy is to continue with the policy of reservation. However, the list/number of items so reserved may be reviewed from time to time in the overall interest of the economy.

Promotion of Indo-Myanmar and Indo-Bangladesh Trading

*71. SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the steps Government have taken to promote the Indo-Myanmar and Indo-Bangladesh trading possibilities and transit routes In relation to the North-East and neighbouring countries and of the transport re-connections or new facilities that might be useful and mutually advantageous to both sides; and

(b) these steps Government have taken to implement the suggestions made in high level S.P. Shukla Commission report to the Prime Minister on March 7,1997 as regards trade and transit in relation to the North-East?